



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18183

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-22028 वर्ष 2025

लालजी यादव आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मानवेंद्र नारायण पाठक, सत्य धीर सिंह जादौन

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, प्रवेश सिंह, प्रवीण कुमार पांडे

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर दूसरा पूरक हलफनामा अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री मानवेंद्र नारायण पाठक, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार पांडे और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-245 वर्ष 2021 में धारा 147, 148, 149, 323, 302, 307, 336, 34 भ०द०वि० और 27/30 आर्म्स एक्ट, थाना-बड़हाज, ज़िला: देवरिया के तहत दायर किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का मामला सह-आरोपी व्यक्ति बैजनाथ यादव के बराबर है, जिसे इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 2025 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-5392 में पारित दिनांक 10.4.2025 के आदेश द्वारा ज़मानत पर बढ़ा दिया गया है, इस प्रकार, आवेदक भी समानता के आधार पर ज़मानत का हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 25.11.2021 से जेल में बंद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है कि दो व्यक्तियों को मौत की सजा दी गई है। आवेदक द्वारा सूचनाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर फर्जी क्रॉस केस लगाया गया था। उक्त मामले में किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरह के हमले का संकेत नहीं दिया गया है। मुकदमा अपने निर्णायक चरण में है, क्योंकि पहले से ही पंद्रह गवाहों की जांच की जा चुकी है और अ०सा०-16 से जिरह की जा रही है, इस प्रकार, इस स्तर पर, आवेदक ज़मानत के हकदार नहीं है।

7. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति की मांग की थी। दिनांक 7.11.2025 की स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पहले ही पंद्रह गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।

8. **‘एक्स’ बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 INSC 909** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी साबित हो सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

9. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

27 जनवरी, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.